20रु. कोर्ट फी Rs.20
COURT FEE
भारत INDIA
बीस रुपये TWENTY RUPEES

CANCELLED.

7

निगरानी 145-I-15

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर, केम्प, सागर

पूरन तनय चतरू काछी,

निवासी-गोलनी, तहसील खुरई, जिला सागर

निगरानीकर्ता

...[redacted] /आवेदक

॥ विरुद्ध ॥

म.प्र. शासन ...अनावेदक

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959

आवेदक/निगरानीकर्ता निम्न प्रार्थी है:-

आवेदक/निगरानीकर्ता यह निगरानी न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय सागर संभाग सागर की निगरानी प्र.क्र. 171/अ-19/08-09 आदेश दिनांक 27.11.13 के विरुद्ध निम्नलिखित तथ्य एवं आधारों पर प्रस्तुत करता है:-

//निगरानी के तथ्य//

1. यह कि, आवेदक/निगरानीकर्ता के मौजा ग्राम गोलनी पट.ह.नं. 59 तह. खुरई, जिला सागर स्थित सर्वे नंबर 357 रकवा 1.46 हे0 में से 1.20 हेक्टेयर भूमि वर्षों से कब्जा होने के कारण व्यवस्थापन किये जाने हेतु एक आवेदनपत्र दिनांक 15.3.1995 को श्रीमान् नायब तहसीलदार बांदरी के समक्ष प्रस्तुत किया था।

2. यह कि, श्रीमान् तहसीलदार बांदरी ने विधिवत् प्रकरण पंजीबद्ध कर इस्तहार जारी कर व हल्का पटवारी से प्रतिवेदन आहूत कर

श्री अशोक कुशवाहा द्वारा प्रस्तुत
अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर, सागर संभाग, सागर (म.प्र.)

166
02-01-15
7-1-15
16-1-15

(60)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक **निगरानी 145–एक / 15** **जिला सागर**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5–2–2015 सागर कैंप	आवेदक अधिवक्ता द्वारा समय सीमा अधिनियम की धारा – 5 के आवेदन पर व ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया तथा अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के प्रकरण कमांक 171 / अ–19 / 2008–09 में पारित आदेश दिनांक 27–11–13 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया, जिससे परिवेदित होकर आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष अवधि बाह्य प्रस्तुत की गई है। 3– अपर आयुक्त न्यायालय के आदेश से स्पष्ट है कि आवेदक के द्वारा यह निगरानी एक वर्ष से भी अधिक के विलम्ब से इस न्यायालय में प्रस्तुत की है व विलम्ब का कोई समाधानकारक तर्क अपने आवेदन व तर्क के दौरान प्रस्तुत नहीं किया है, अतः प्रथमदृष्टया यह निगरानी अवधि बाह्य होने से इसी स्तर पर सुनवाई हेतु अग्राह्य की जाती है । **प्रशासकीय सदस्य**	